भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2096

08 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली संबंधी बाधाएं

2096. श्री के. सी. वेणुगोपालः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः
श्री प्रमोद तिवारीः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि स्वास्थ्य देखभाल लागतों में वृद्धि तथा लोक निधि के अभाव के कारण लोक स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आयुष अंत:क्षेपों को शामिल करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और असमर्थनीय हो गया है;
(ख) यदि हां, तो आधुनिक और पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि प्रमाण के अभाव में उनकी प्रभाविकता को साबित नहीं किया जा सकता है?

उत्तर
आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने 16 फरवरी, 2013 को स्वास्थ्य बीमा विनियम, 2013 अधिसूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खंड 5(I) के तहत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में 'आयुष कवरेज' के प्रावधान हैं। आईआरडीएआई ने दिनांक 26/11/2019 के परिपत्र संख्या आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/209/11/2019 के द्वारा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में मानकीकरण पर दिशानिर्देशों को संशोधित किया है जिसके तहत "आयुष अस्पताल" और "आयुष डे-केयर सेंटर" की परिभाषाओं को शामिल किया गया है। आईआरडीएआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 29 बीमा कंपनियां अब आयुष उपचार को कवर करने वाले उत्पाद प्रदान करती हैं।

(ग): आयुष मंत्रालय ने आगे अनुसंधान एवं विकास के लिए आयुष क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु कई पहल की हैं, जो इस प्रकार हैं:

i. आयुष मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से आयुर्ज्ञान योजना नामक केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित की है जिसके दो घटक हैं अर्थात, (i) आयुष में क्षमता वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई), (ii) आयुष में अनुसंधान और नवाचार। आयुष में अनुसंधान और नवाचार के तहत, संगठनों/संस्थानों को अनुसंधान अध्ययन, आयुष अनुसंधान को बढ़ावा देने और आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार में मदद देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

ii. आयुष मंत्रालय ने आयुर्स्वास्थ्य योजना नामक केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित की है, जिसके दो घटक हैं अर्थात, (i) आयुष और जन-स्वास्थ्य (पीएच), (ii) उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)। आयुर्स्वास्थ्य योजना वित्तीय वर्ष

2021-22 में कार्यान्वित की गई थी। आयुर्स्वास्थ्य योजना के विस्तृत दिशानिर्देश निम्नलिखित पर उपलब्ध हैं: https://main.ayush.gov.in/hi/schemes-2/central-sector-scheme/ayurswasthya-yojana/

iii. आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), आयुर्वेद में वैज्ञानिक तर्ज पर अनुसंधान के निरूपण, समन्वय, विकास और प्रचार के लिए एक शीर्ष निकाय है। सीसीआरएएस पूरे भारत में 30 परिधीय संस्थानों/केंद्रों/इकाइयों के नेटवर्क के साथ अपने अनुसंधान कार्यक्रमों को निष्पादित करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो नियंत्रण, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। सीसीआरएएस का अनुसंधान कार्य, नैदानिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, फार्माकोलॉजी अनुसंधान, औषधीय पादप अनुसंधान (मेडिको-एथनो बॉटनिकल सर्वेक्षण, खेती, फार्माकोग्नोसी), औषधि मानकीकरण अनुसंधान और साहित्यिक अनुसंधान एवं प्रलेखन के क्षेत्रों में अंतरवर्ती और सहयोगी अध्ययनों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है।

iv. आयुष मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) अपने नैदानिक अनुसंधान कार्यक्रम के तहत साक्ष्य आधारित अनुसंधान कार्य में लगी हुई है। इसके 19 नैदानिक अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से फार्माकोपियल/क्लासिकल औषधियों पर नैदानिक सत्यापन अध्ययन किए जा रहे हैं। शोधकर्ता, विभिन्न आधुनिक मापदंडों पर यूनानी चिकित्सा में शोध कर रहे हैं और ये विभिन्न सहकर्मी समीक्षित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इन शोधों के नतीजे संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

v. आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) का ध्यान मुख्य रूप से सिद्ध औषधियों की सुरक्षा और प्रभावकारिता अध्ययन, मौलिक सिद्धांतों के सत्यापन, औषधि मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण, औषधीय पादपों के सर्वेक्षण और खेती तथा साहित्यिक अनुसंधान सहित नैदानिक अनुसंधान पर केंद्रित है। सीसीआरएस द्वारा 54 पुस्तकें, 10 पेटेंट और 650 वैज्ञानिक अनुसंधान लेख प्रकाशित किए गए हैं। सीसीआरएस के पास अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है जिसमें अत्याधुनिक उपकरण और सुविधाएं हैं। परिषद बहुआयामी अनुसंधान गतिविधियों में लगी हुई है। नैदानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, अतिपाती और चिरकालिक रोगों के लिए नैदानिक-पूर्व फॉर्माकोलॉजिकल/टॉक्सिकोलॉजिकल अध्ययन, ओपन लेबल परीक्षण, मल्टीसेंट्रिक रेंडोमाइज्ड कंट्रोल्ड परीक्षण (आरसीटी) किए जा रहे हैं। मुख्य जोर, सुरक्षित और प्रभावी सिद्ध उपचार विकसित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता के रोगों पर है।

vi. आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), होम्योपैथी में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। यह देश भर में अपने 27 संस्थानों/इकाइयों और 7 उपचार केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान गतिविधियों का निरूपण, समन्वय करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। सीसीआरएच अपने अनुसंधान कार्यक्रमों यथा नैदानिक अनुसंधान, औषधि प्रमाणन, औषधि सत्यापन, औषधि मानकीकरण, मौलिक अनुसंधान, महामारी अनुसंधान को या तो इंट्राम्यूरल मोड में अथवा ख्याति प्राप्त विभिन्न संस्थानों के सहयोग से तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वास्थ्य शिविरों जैसे जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से और होम्योपैथी में प्रयुक्त विदेशी/स्वदेशी औषधीय पौधे उगाकर निष्पादित करता है।

*****